# साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः विद्युत भवन, बेली रोड, पटना– 21

बिहार सरकार का उपक्रम (परियोजना–1)

*Illuminating lives...*

CIN No.: U40109BR2012SGC018890


पत्रांकः– 93 दिनांकः– 20/02/2023

**P-1/GCRT-3031/2023**

प्रेषक,

दिलीप कुमार सिंह
मुख्य अभियंता, परियोजना–I (शहरी)

सेवा में,

विद्युत अधीक्षण अभियंता,
सभी विद्युत आपूर्ति अंचल
विद्युत कार्यपालक अभियंता
सभी विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल।
सहायक विद्युत अभियंता,
सभी विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल।
कनीय विद्युत अभियंता
सभी विद्युत आपूर्ति प्रशाखा।

विषयः– **Grid Connected Roof Top Solar परियोजना के कार्यन्यवयन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि Grid Connected Roof Top Solar परियोजना हेतु कुल 24 वेन्डरों का चयन किया गया है जो उनके द्वारा SBPDCL के चयनित अंचलों में (सूची संलग्न) कार्य करेंगी। इस परियोजना का कार्य प्रारम्भ हो चुका है एवं इस परियोजना के अन्तर्गत ऑन लाईन माध्यम से उपभोक्ताओं से आवेदन प्राप्त किए जा रहे है। SBPDCL के अन्तर्गत 10 MW की कुल क्षमता से अधिक के आवेदन आए है, इस परियोजना का क्रियान्वयन जनवरी–2024 तक पूर्ण किया जाना है।

इस परियोजना से संबंधित जानकारी एवं Grid Connected Roof Top Solar के स्थापना से संबंधित प्रक्रिया निम्नवत है।

1. सोलर पैनल लगवाने के इच्छुक केवल घरेलू उपभोक्ता www.sbpdcl.co.in पर दिये गये लिंक "*निजी परिसर में रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने हेतु आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें*" पर जाकर आवेदन किया जाना है।
2. आवेदन करने के उपरांत अथवा पूर्व में आवेदन कर चुके उपभोक्ता www.sbpdcl.co.in पर दिये गये लिंक "*निजी परिसर में रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने हेतु आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें*" पर जाकर अपने मनपसंद एजेन्सी का चयन करेंगे। एजेन्सी के बारे में आवश्यक जानकारी **इस पत्र के साथ संलग्न है।**
3. एजेन्सी द्वारा साइट सर्वे किये जाने के पूर्व **केवल एक बार** उपभोक्ता द्वारा एजेन्सी को बदला जा सकता है।
4. उपभोक्ता द्वारा एजेन्सी का चयन करने के उपरांत, एजेन्सी द्वारा उपभोक्ता के परिसर का स्थल निरीक्षण किया जायेगा एवं स्थल निरीक्षण के उपरांत यदि उपभोक्ता के परिसर में सोलर पैनल लगाने हेतु उपयुक्त पाया जाता है तो एजेन्सी द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन को स्वीकृति प्रदान करते हुए सोलर पोर्टल ( hargharbijli.bsphcl.co.in **पोर्टल)** पर एजेन्सी द्वारा अपलोड किया जायेगा। **(स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न है)**
5. एजेन्सी द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन की स्वीकृति के उपरांत वितरण कंपनी के सहायक विद्युत अभियंता उपभोक्ता के परिसर में लगने वाले ग्रीड कनेक्टेड सोलर पांवर प्लान्ट की Net Metering Guidelines के अनुसार Technical Feasibility की जाँच करेगें तथा सही पाये जाने पर Technical

Feasibility रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान करते ही सोलर पोर्टल ( hargharbijli.bsphcl.co.in **पोर्टल)** पर अपलोड करेंगे। ( **Net Metering Guidelines एवं Technical Feasibility का प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न है।)**

- इस परियोजना के अन्तर्गत सोलर पैनल केवल "घरेलू श्रेणी" में स्थापित किया जाना है।
- Grid Connected Solar Plants (Net +Gross) की कुल संचयी क्षमता संबंधित Transformer के 80% क्षमता से अधिक होने पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।
- Grid Connected Roof Top Solar Plant की क्षमता 1KW से कम नहीं होनी चाहिए।
- उपभोकता के सौर संयत्रों की क्षमता DISCOM द्वारा उपभोकता के स्वीकृत लोड से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उपभोक्ता का बिजली बिल गत माह तक जमा होना चाहिए।
  **एजेन्सी द्वारा साईट सर्वे के उपरान्त सात दिनों के अन्दर Technical Feasibility पूर्ण करना है।**

6. सहायक विद्युत अभियंता द्वारा Technical Feasibility रिपोर्ट की स्वीकृति के उपरांत, आवेदक को एस0एम0एस0 के माध्यम से नेट मीटरींग एकरारनामा हेतु सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा DISCOM के साथ नेट मीटरींग का एकरारनामा किया जायेगा। संबंधित सहायक विद्युत अभियंता द्वारा नेट मीटरींग एकरारनामा को सोलर पोर्टल ( hargharbijli.bsphcl.co.in**पोर्टल)** पर अपलोड किया जायेगा।
7. Grid Connected Solar Power Roof Plant के अधिष्ठापन में आनेवाले कुल खर्च,राज्य सरकार का अनुदान, केन्द्र सरकार का अनुदान एवं उपभोक्ता द्वारा कुल खर्च की जानेवाली राशि का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न है।
8. नेट मीटरींग एकरारनामा के उपरांत आवेदक द्वारा कुल किये जानेवाले भुगतान का 80 प्रतिशत भुगतान हेतु एस0एम0एस0 द्वारा आवेदक को सूचित किया जायेगा।
9. उपभोक्ता एस0एम0एस0 प्राप्ति के उपरांत ही संबंधित एजेन्सी से विमर्श करने के पश्चात उनके लॉगिन पर दिये गये एजेन्सी के Bank Account पर ही भुगतान करेगें।
10. भुगतान के उपरांत उपभोक्ता द्वारा इसकी जानकारी सोलर पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।
11. उपभोक्ता द्वारा 80 प्रतिशत भुगतान के उपरांत एजेन्सी द्वारा Grid Connected Solar Power Plant की स्थापना हेतु MNRE Guidelines एवं RFP में दिये गये Technical Specification के आधार पर सोलर पैनल, इन्र्भटर, केबल, स्ट्रक्चर आदि की आपूर्ति आवेदक के परिसर में करेगें। Technical Specification, MNRE Guidelines etc की जानकारी सोलर पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
12. उपरोक्त सामान की आपूर्ति के उपरांत आवेदक द्वारा शेष 20 प्रतिशत का भुगतान संबंधित एजेन्सी को किया जायेगा ।
13. सहायक विद्युत अभियंता नेट मीटर/स्मार्ट मीटर लगवाकर उपभोक्ता की नेट मीटर पर बिलिंग सुनिश्चित करेंगे।
14. आवेदक द्वारा पूर्ण भुगतान के उपरांत एजेन्सी द्वारा MNRE Guidelines एवं RFP में दिये गये Technical Specification के आधार पर सोलर पैनल की स्थापना का कार्य किया जायेगा।
15. Grid Connected Solar Power Plant की स्थापना के उपरांत एजेन्सी द्वारा सोलर पोर्टल पर निम्न प्रतिवेदन को अपलोड करना होगा।
    I. Project completion report
    II. Commissioning report
    III. Intimation to DISCOM Implementation of Grid connected rooftop solar PV plant
    IV. Undertaking/Self- Declaration for domestic content requirement fulfilment
16. एजेन्सी द्वारा सोलर पैनल के स्थापना से संबंधित प्रतिवेदन सोलर पोर्टल पर उपलब्ध होने के उपरांत सहायक विद्युत अभियंता द्वारा एजेन्सी के साथ सोलर प्लान्ट का Joint Inspection किया जायेगा एवं एजेन्सी द्वारा Joint Inspection Report, Beneficiary Photo with installed Solar Plant, को सोलर पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

**अनु0:–** यथोक्त।

विश्वासभाजन

20.02.23

**(दिलीप कुमार सिंह)**
मुख्य अभियंता, परियोजना–I